



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]
No. 414]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2005/वैशाख 8, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2005/VAISAKHA 8, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2005

(आयकर)

का.आ. 592(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की आरंभ अवधि और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 354(अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक स्कीम निर्मित और अधिसूचित की गई है।

और जबकि मैसर्स बागमाने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, सं. 7/2 लैंग फोर्ड गार्डेन्स बंगलौर-560 025 में है, ने औद्योगिक पार्क का विकास किया है और उसका रख-रखाव और प्रचालन कर रहा है ;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अध्यधीन उपर्युक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है ;

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स बागमाने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुबंध

वे नियम व शर्तें जिन पर मैसर्स बागमाने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : बागमाने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

(ii) प्रस्तावित स्थान

पता: बागमाने एन्क्लेव, खाता सं. 66/1,
सी.वी. रमन नगर, के.आर. पुरम,
होबली, बेंगलूर दक्षिण, कर्नाटक,
जिला: बेंगलूर दक्षिण,
राज्य: कर्नाटक
पिन कोड:
दूरभाष:
फैक्स:

(iii) औद्योगिक पार्क का प्रस्तावित क्षेत्र 52 एकड़

(iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र कोड सहित औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप					
	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र कोड				विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	8	89	892	-	साफ्टवेयर संभरण सेवाएं
ख	3	36	367	-	हार्डवेयर विनिर्माण
ग	3	36	365	365.5	दूर संचार विनिर्माण

(v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित : 95 %
आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत

(vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित : 05 %
भूमि का प्रतिशत

(vii) औद्योगिक यूनिटों की प्रस्तावित संख्या : 35 यूनिट

(viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रूप्यों में) : 220.0 करोड़ रु.

(ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित
स्थान पर निवेश (राशि रूप्यों में) : 120.0 करोड़ रु.

- (x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश : 220.0 करोड़ रु.
जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए
निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है
(राशि रूप्यों में)
2. औद्योगिक प्रयोग के लिए आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र की न्यूनतम प्रतिशतता
कुल आवंटनीय क्षेत्र के 66 % से कम नहीं होगी ।
3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग, योजना तथा कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कोडों को छोड़ राष्ट्रीय
औद्योगिक वर्गीकरण, 1987 कोड में परिभाषित किसी कार्यकलाप में
औद्योगिक उपयोग को शामिल किया जाएगा ।
- धारा 0
धारा 1
धारा 5
धारा 7 प्रभाग 75 को छोड़कर
धारा 8 ग्रुप 892, 893, 894, 895 को छोड़कर
धारा 9
धारा X
धारा XI
4. वाणिज्यिक उपयोग के लिए चिन्हित की जाने वाली, भूमि की प्रतिशतता
आवंटनीय क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
5. औद्योगिक माडल टाउन औद्योगिक पार्क तथा ग्रोथ सेंटर के मामले में
अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश पूरी परियोजना लागत का 50 % से
कम नहीं होना चाहिए । किसी औद्योगिक पार्क और ग्रोथ सेंटर की परियोजना
के मामले में जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान की व्यवस्था करती
है, औद्योगिक स्थान के निर्माण की लागत सहित अवसंरचना विकास पर
न्यूनतम व्यय कुल लागत के 60 % से कम नहीं होना चाहिए ।
6. अवसंरचना विकास में सड़कों (.पहुंच मार्गों सहित) जल आपूर्ति और
सीवरेज, सामान्य निस्सारी अभिक्रिया, विद्युत का उत्पादन एवं वितरण,

वातानुकूलन और ऐसी अन्य सुविधाएं जो कि औद्योगिक कार्यकलाप के सामान्य उपयोग के लिए हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं, शामिल होंगी।

7. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के कानूनी आदेश 354 (अ) के पैरा 6 के उप पैरा (ख) में दी गई तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कोई भी इकाई औद्योगिक मॉडल टाउन अथवा औद्योगिक पार्क अथवा ग्रोथ सेंटर के आबंटनीय औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगी। इसके प्रयोजनार्थ एक इकाई का आशय एक और अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजनार्थ किसी पृथक और भिन्न अस्तित्व से है।
8. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक अथवा फिलहाल प्रभावी किसी कानून के अन्तर्गत विहित प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/ अनिवासी भारतीय निवेश सहित नीति और लागू प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक अनुमोदन अलग-अलग लिए जाएंगे।
9. मैसर्स बागमाने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बागमाने इन्क्लेव, खाता संख्या 66/1, सी. वी. रमन नगर, के.आर. पुरम, बैंगलूर दक्षिण कर्नाटक उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) के अंतर्गत लाभों को प्राप्त किया जाना है।
10. यदि बागमाने डेवलपर्स प्रा. लि., बैंगलूर उपर्युक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है तो केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापिस ले सकती है।
11. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना की रूपरेखा में कोई संशोधन करने अथवा आवेदक द्वारा किसी वस्तुगत तथ्य को प्रकट न करने पर भविष्य में पता लगने पर औद्योगिक पार्क का यह अनुमोदन निरस्त हो जाएगा।